GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD) (रेलवे बोर्ड)

*****

No. 2018/TG-I/9/2 **New Delhi, dated 25.10.2019**

Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No.52 of 2019)

Sub: Earmarking Duty Pass (DP) Quota in Rajdhani/ Shatabdi/Duronto Express type trains.

Please find enclosed a copy of this office letter of even number dated 16.10.2019 on the subject quoted above for information and further necessary action.

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C), OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi- 110001.
4. MD/CRIS & General Manager/PRS, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-2260011.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)
*****

No.2018/TG-I/9/P/2 New Delhi, Dated: 16.10.2019

The General Manager,
All Zonal Railways.

Sub: Earmarking Duty Pass (DP) Quota in Rajdhani/ Shatabdi/Duronto Express type trains.

Ref: (i) Letter no. 98/TG-I/9/P dated 29.03.2001
(ii) Letter no. E(W)2009 PS5-1/30 dated 21.03.2012
(iii) Letter no. E(W)2009/PS 5-1/30 dated 01.03.2013
(iv) Letter no. E(W)2016/PS 5-1/10 dated 12.07.2017

Vide instructions referred to above, the procedure for earmarking Duty Pass Quota for serving/retired railway servants travelling on Duty/Privilege/Post Retirement Complimentary(PRC) passes has been advised.

2. The matter has been reviewed. It has now been decided to slightly modify earmarking of Duty Pass Quota in Rajdhani/Shatabdi type trains i.e. Rajdhani/ Shatabdi/Duronto/Gatiman, etc., in which the fare is higher than normal Mail/Express trains. The revised procedure shall be as under:-

(i) In 3AC class of Rajdhani type trains and AC Chair Car and 2S/SL in Duronto trains, 50% of the earmarked Duty Pass Quota shall be earmarked at the counter and the remaining 50% shall be released as emergency quota subject to maximum limit mentioned in subsequent paragraph.

(ii) In 2AC class, approximately 1/4th of the earmarked Duty Pass Quota shall be earmarked at the counter for booking by Duty/Privilege/PRC pass holders and the remaining will be released as emergency quota subject to maximum limit mentioned in subsequent paragraph.

.....2/-

(iii) The maximum number of berths/seats to be earmarked as Duty Pass Quota shall broadly be as under:-

Class	Maximum Number. of berths/seats to be earmarked		Total
	At Counter	As EQ	
1A	-	4	4
2A	3	9	12
3A	13	14	27
EC	-	6	6
CC	12	12	24
SL	10	10	20
2S	10	10	20

(iv) The actual Duty Pass Quota to be earmarked at counter and that as Emergency Quota shall be decided by zonal Railways, based on number of coaches of that class available in the train.

3. The quota so earmarked shall be reviewed by zonal Railways on periodical basis and adjustments made within the limits mentioned above, wherever required.

(D.V. Rao)
Director Estt.(Welfare)
Railway Board

(Shelly Srivastava)
Director Passenger Marketing
Railway Board

भारत सरकार (Government Of India)
रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways)
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

*****

सं. 2018/टीजी-I/9/2 **नई दिल्ली, दिनांक 25.10.2019**

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(वाणिज्य परिपत्र सं. 2019 का 52)

विषय: राजधानी/शताब्दी/दुरंतो एक्सप्रेस किस्म की गाड़ियों में ड्यूटी पास (डीपी) कोटा निर्धारित करना.

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 16.10.2019 के समसंख्यक पत्र की प्रति सूचना और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक, यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

1. सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. ईडीवी(टी), ईडीएफसी, डीएफ(सी), ओएसडी(टीसी), रेलवे बोर्ड की एफ (सी) और वी(एसएस) शाखाएं ।
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी 148, 11वी मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001.
4. प्रबंध निदेशक/ क्रिस एवं महाप्रबंधक/पीआरएस, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण एवं प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कालेज, वड़ोदरा।

6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे /त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौलाअली, द.पू.रेलवे/सीनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/उदयपुर.
7. निदेशक, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ।
8. महासचिव, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. महासचिव, एआईआरएफ, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
10. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा सं. 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी आफिसर्स फेडरेशन(आईआरपीओएफ), कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली
12. महासचिव, आल इंडिया रेसुब एसोसिएशन, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1 जवाहर लाल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

*****

भारत सरकार (Government Of India)

रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways)

(रेलवे बोर्ड Railway Board)

*****

सं. 2018/टीजी-I/9/पी/2 **नई दिल्ली, दिनांक 16.10.2019**

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें.

विषय: राजधानी/शताब्दी/दुरंतो एक्सप्रेस किस्म की गाडियों में ड्यूटी पास (डीपी) कोटा निर्धारित करना.

संदर्भ: (i) दिनांक 29.03.2001 का पत्र सं 98/टीजी-I/9/पी

(ii) दिनांक 21.03.2012 का पत्र सं ई(डब्ल्यू)2009/पीएस5-1/30

(iii) दिनांक 01.03.2013 का पत्र सं ई(डब्ल्यू)2009/पीएस5-1/30

(iv) दिनांक 12.07.2017 का पत्र सं ई(डब्ल्यू)2016/पीएस5-1/10

ऊपर दिए गए निर्देशों के द्वारा ड्यूटी / सुविधा /सेवोत्तर मानार्थ पास पर यात्रा करने वाले सेवारत / सेवानिवृत्त रेलवे सेवकों के लिए ड्यूटी पास कोटा निर्धारित करने की प्रक्रिया दी गई है।

2. मामले की समीक्षा की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि राजधानी/शताब्दी किस्म की गाडियों अर्थात राजधानी/शताब्दी/दुरंतो/गतिमान आदि जिनमें किराया सामान्य मेल / एक्सप्रेस गाडियों से अधिक है, में ड्यूटी पास कोटा के आवंटन को थोड़ा संशोधित किया जाए। संशोधित प्रक्रिया निम्नानुसार होगी: -

(I) राजधानी किस्म की गाडियों के 3एसी और दुरंतो गाडियों में वातानुकूल कुर्सी कार और द्वितीय शयनयान /शयनयान में 50% निर्धारित ड्यूटी पास कोटा काउंटर पर दिया जाएगा और शेष 50% बाद के पैरा में उल्लिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत आपातकालीन कोटे के रूप में रिलीज किया जाएगा।

(II) 2 एसी में ड्यूटी/सुविधा/पीआरसी पास धारकों द्वारा बुकिंग के लिए निर्धारित ड्यूटी पास कोटा का 1/4 काउंटर पर दिया जाएगा और शेष बाद के पैराग्राफ में

-2/-

उल्लिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत आपातकालीन कोटे के रूप में रिलीज किया जाएगा।

(III) ड्यूटी पास कोटा के रूप में निर्धारित बर्थों/सीटों की अधिकतम संख्या मोटे तौर पर निम्नानुसार होगी:-

श्रेणी	निर्धारित की जाने वाले बर्थों/सीटों की अधिकतम संख्या		कुल
	काउंटर पर	आपातकालीन कोटे के रूप में.	
1ए	-	4	4
2ए	3	9	12
3ए	13	14	27
ईसी	-	6	6
सीसी	12	12	24
शयनयान	10	10	20
2एस	10	10	20

(iv) काउंटर पर वास्तविक ड्यूटी पास कोटा तथा आपातकालीन कोटा निर्धारित करने का निर्णय गाड़ी में उस श्रेणी में उपलब्ध कोचों की संख्या के आधार पर, क्षेत्रीय रेलों द्वारा लिया जाएगा।

3. क्षेत्रीय रेलों द्वारा निर्धारित कोटे की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, तथा जहाँ आवश्यक हो, ऊपर दी गई सीमाओं के भीतर समायोजन किए जाएंगे।

(डी.वी.राव)
निदेशक स्था.(कल्याण)
रेलवे बोर्ड

(शैली श्रीवास्तव)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड